उपदान सदाय – अधिनियिम और नियमों की सॅक्षिप्ती

1. **अधिनियम का विस्तार :–** इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है परन्तु जहॉ तक इसका सम्बन्ध बागानों या पतनों से है, उसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर नही होगा। धारा 1 (2)

2. **अधिनियम किस को लागू होता है :–** यह अधिनियम (क) प्रत्येक कारखाने, खान तेल क्षेत्र बागान, पान और रेल कम्पनी, (ख) किसी राज्य में दुकानों और संस्थानों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत किसी विधि के अीं में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा संस्थापन को जिसमें पूर्ववर्ती 12 मास में किसी दिन 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा नियोजित थे, तथा (ग) ऐसे संस्थानों के वर्ग को जिसमें पूववर्ती बारह मास में किसी दिन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए, 10 या अधिक कर्मचारी नियोजित हों अथवा नियोजित थे, लागू होगा। धारा 1(3)

परिभाषाएं :– (क) ''समुचित सरकार'' से अभिप्राय है (प) निम्नलिखित स्थापनों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, अर्थात–

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा असके नियन्त्रणाधीन स्थापना।

(ख) ऐसे स्थापन जिनकी एक से अधिक राज्यों में शाखाएं हों।

(ग) केन्द्रीय सरकार के , अथवा उसके नियन्त्राधीन कारखाने के स्थापन;

(घ) किसी महापतन, खान, तेल क्षेत्र अथवा रेल कमपनी के स्थापन;

(पप) किसी अन्य दशा में, राज्य सरकार (धारा 2 क)–

(ख) ''सेवा का संपूरित वर्ष '' से एक वर्ष के निरन्तर सेवा अभिप्रेत है।(धारा 2 ख)।

(ग) ''निरन्तर सेवा '' से अभिप्रेत है अविछिन्न सेवा ओर इसके अन्तर्गत यह सेवा भी जो बीमारी, दुर्घटना छुटटी, कामबन्दी, हड़ताल अथवाप तालाबन्दी कार्यारोथ से ,जो सम्बन्धित कर्मचारी की त्रुटि के कारण न हो, विछन हुई हो, चाहे ऐसी अविछिन्न वा विछन्न सेव इस अधिनियिम के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या पश्चात्।

स्पष्टीकरण 1 :– किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो एक वर्ष से अविछिन्न सेवा में नही है जब यह समझा जायेगा कि वह निरन्तर सेवा में है, जब वह उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान किसी नियोजक द्वारा :–

1. यदि किसी खान में भुमि के नीचे नियोजित हो तो कम से कम 140 दिनों के लिए, अथवा
2. किसी अन्य दशा में तब के सिवाय जब कि वह किसी मौसमी स्थापन में नियोजित हो, 240 दिन के लिए, वास्तव में नियोजित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2 :– किसी मौसमी स्थापन के कर्मचारी के बारे में जब यह समझा जाऐगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब उसने उन दिनों के, जिनमें वह स्थापना उस वर्ष के दौरान चालू रहा, कम से कम पचहार प्रतिशत वास्तब में काम किया है। (धारा 2 ग)।

(घ) ''नियंत्रक प्राधिकारी'' से समुचिम सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रत है। धारा 2 (घ)

देखिए

(ड.) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में '' कुटुम्ब '' में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगे अर्थात् :–

1. पुरूष कर्मचारी की दशा में वह स्वयं उसकी पत्नी उसकी विवाहित संतान उसके आश्रित माता तथा सके पूर्व मृत पुत्र की यदि कोई रहा हो विधवा और संतान।
2. महिला कर्मचारी की दशा में, वह स्वयं उसका पति, उसकी अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता–पिता और उसके पिता के आश्रित माता–पिता तथा उसके पूर्व मृत पुत्र की यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान – परन्तु यदि कोई महिला कर्मचारी, नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित सूचना द्वारा, अपने पति को अपने कुटुम्ब से अववर्जित करने की वांछा अभिव्यक्त करती है तो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, पति और उसके आश्रित माता– पिता, ऐसी महिला कर्मचारी के कुटुम्ब में सम्मिलित नहीं समझे जाएगे जब तक कि उक्त सूचना महिला कर्मचारी द्वारा तत्पश्चात् न ले ली जाये।

स्पष्टीकरण :– जहां कर्मचारी की स्वीय विधि के अधीन उसके द्वारा संतान का ग्रहण अनुज्ञात है, वहॉ उसके द्वारा विधिपूर्वक दशक ग्रहीत संतान उसके कुटुम्ब में सम्मिलित समझी जायेगी, और जहॉ किसी कर्मचारी की संतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दशक ग्रहण कर ली गई है और ऐसा दशक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन वैध है, वहां ऐसी संतान कर्मचारी के कुटुम्ब से अपवर्जित समझी जाएगी। धारा 2 (ज)

4. नामनिर्देशन :– 1. प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूार कर लिया है, उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 के प्रारम्भ के प्श्चात् सेवा के एक वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर नातनिर्देशन करेगा। 6(1) के साथ पटित 6 (1)।

2. यदि नामनिर्देशन के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जायेगा, तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन जो उसके कुटुम्ब का सदस्य नहीं है, शून्य होगा। धारा 6 (3)।

3. यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी को कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, किन्तु यदि तत्पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो जाता है ऐसा तत्काल नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा। कर्मचारी 40 दिन के भीतर अपने कुटुम्ब के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामनिर्देश न करेगा। नियम 6 (3) के पाठित धारा 6 (4)।

4. नामनिर्देशन या नए नामनिर्देशन के उपरान्तरण की सूचना पर कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर, अथवा यदि वह निरक्षर है तो उस पर अंगूठे की निशानी, दोऐसे साक्षियों की उपस्थिति में किए जाऐगे या लगाई जाएगी, जो यथास्थिति उस नामनिर्देशन के उपरान्त की सूचना में उस की घोषणा कर हस्ताक्षर भी करेग। नियम 6 (5)।

5. धारा 6 की उपधारा (3) तथा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नाम निर्देशन का उपरान्तण, कर्मचारी द्वारा किसी भी समय, नियोजक को ऐसा करने के अपने आप की लिखित सूचना देने के प्श्चात् किया जा सकेगा। नियम 6 (5)।

6. नामनिर्देशन या नया नामनिर्देशन के उपरान्त सूचना, नियोजक द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी। नियम 6 (6)।

5. उपदान के लिए आवेदन :– 1. कोई कर्मचारी जो अधिनियम के अधीन उपदान के संदाय के लिए पात्र है अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए निम्नलिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति सामान्यतः उस तारीख से जिसको उपदान सदैव हो जाता है, तीस दिन के भीतर आवेदन करेगा। परन्तु जहां कर्मचारी को अधिवार्षिकी या सेवा–विवर्ति की तारीख ज्ञात है, वहां कर्मचारी अधिवार्षिक या सेव–निवर्ति की तारीख के तीस दिन के पहिले नियोजक को आवेदन कर सकेगा। नियम 7 (1)।

2. कर्मचारी का नाम निर्देशन, जो उपदान के संदाय के लिए पात्र है, सामान्यतः उस तारीख से जिसको उपदान उसे संदेय हुआ था, तीस दिन के भीतर नियोजक को आवेदन करेगा। नियम 7 (2)।

3. कर्मचारी का विधिक वारिस, जो उपदान के संदाय के लिए पात्र है, सामान्यतः उस तारीख से जिसको उपदान उसे संदेय हुआ था, एक वर्ष के भीतर नियोजक को आवेदन करेगा। नियम 7 (3)।

4. उपर विनिर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति के पश्चात् फाइल किया गया उपदान के संदाय के लिये आवेदन भी नियोजक द्वारा ग्रहण किया जायेगा, यदि आवेदक विलम्ब के लिये पर्याप्त हेतु कर देता है। नियम 7 (5)।

6. उपदान के संदाय :– 1. कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजक के पर्ववसान पर उसको –

क) उसकी अधिवार्षिक पर, अथवा

ख) उसकी निवृति का पर त्याग पर, अथवा

ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्तता पर उपदान संदेय होगा।

परन्तु पांच वर्ष निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होना यहां किसी कर्मचारी के कानून के पूर्वचलान का कारण उसकी मृत्यु या निशक्तता है । निशक्तता से ऐसी निशक्तता का अभिप्रेत है, जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए असमर्थ बना देती है जिसे वह उस दुर्घटना या रोग के परिणाम स्वरूप निः शक्तता हुई है, करने के लिए समर्थ था। धारा 4 (1)।

2. नियोजक कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अथवा 6 मास से अधिक के उसके रोग के लिए, सम्बद्व कर्मचारी द्वारा सबसे अन्त में प्राप्त की गई मज़दूरी की दर पर आधरित 15 दिनों की मज़दूरी की दर का उपदान करेगा।

परन्तु मात्र मुपाती दर से मज़दूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मज़दूरी उसके नियोजक के पर्यवास के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की काल अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मज़दूरी की औसत पर संगणित की जायेगी, और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालीन कार्य के लिय संदाय मज़दूरी गणना में नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी की दशा में नियोजक प्रत्येक मौसम के लिय सात दिन की मज़दूरी की दर से उपदान कर संदाय करेगा। 4 (2)।

3. कर्मचारी को संदाय की रकम बीमा मास की मज़दूरी से अधिक नहीं होगी। 4 (3)।

परन्तु मात्र नुपात दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यवास के ठीक पूर्ववर्ती 3 मास की काल अवधि के लिये उसके द्वारा प्राप्त कल मजदूरी की औसत पर संगाणित की जायेगी,और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालीन कार्य के लिये संदाय मजदूरी गणना में नही की जायेगी। परन्तु यह और कि मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी कर्मचारी की दशा में नियोजक प्रत्येक मौसम के लिये 7 दिन की मजदूर की दर से उपदान कर संदाय करेगा। धारा 4 (2)

3. कर्मचारी को संदाय की रकम बीस मास की मजदूरी से अधिक नही होगी। धारा 4 (3)।

7. उपदान का समापहरण :–

1. जिस कर्मचारी की सेवाएं उसके किसी ऐसे कार्य या जानबुझकर किए गये ऐसे लोप अथवा उपेक्षा के कारण जिनसे कि नियोजक के सम्पति के हानि, नुकसान अथवा विनाशा हुआ है समाप्त कर दी गई है उसका उपदान इस प्रकार हुए नुकसान या हानि की मात्र तक समपहत कर लिया जायेगा।

2. कर्मचारी को संदेय उपदान पूर्णतः समापन कर लिया जायेगा।

(क) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके बलवात्मक अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसकी ओर से किए गए किसी अन्य हिंसात्मक कार्य के कारण समापत कर दी गई है, अथवा

(ख) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे कार्य के कारण समाप्त कर दी गई है जो कि नैतिक अक्षमता वाला अपराध है, परन्तु यह तब तक कि उसके द्वारा ऐसा अपराण अपने नियोजन के औरान किया जाता है। धारा 4 (6)

8. स्थापना के खोलने, परिवर्तन या गंद करने की सूचना :–

1. कारोवार के नाम, पत्ते, नियोजक या प्रकृति में किसी परिवर्तन के तीन दिन के भीतर नियोजक द्वारा उस क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को उसकी सूचना भेजी जायेगी। नियम 3 (2)

2. जहां नियोजक कारोवार को बन्द करने का आशय रखता है वहॉ वह एस क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी को आशयित बंद के कम से कम 60 दिन के पहले सूचना भेजेगा। नियम 3 (3)।

9. नियंत्रक प्राधिकारी को निर्देश के लिए आवेदन :–

यदि कोई नियोजक :–

1. उपदान के संदाय के लिए नामनिर्देशन स्वीकार करने या आवेदन ग्रहण करने से इंकार करता है, अथवा

2. या तो उपदान की वह रकम विनिर्दिष्ट करने वाली जो आवेदक द्वारा उससे कम समझी जाती है, या जो संदेय है या उपदान के सेदाय की पात्रा अस्वीकृत करने वाली सूचना जारी करता है, अथवा

3. उपदान के संदेय के लिये आवेदन प्राप्त करके 15 दिन के भीतर सूचना जारी करने में असफल रहता ह, तो यथस्थिति, दावेदार, कर्मचारी नाम निदेर्शित या विधिक वारिस आवेदन के लिए हेतुक घटित होने के 40 दिन के भीतर, नियंत्रक प्राधिकारी को धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन निदेर्शित उतनी सहित जितनक कि विरोधी पक्षकार है, जारी करने के लिए आवेदक कर सकेगा :

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रर्याप्त अर्शित किये जाने पर किसी आवेदक का 40 दिन की अवधि की समाप्ति के प्श्चात् कर सकेगा। नियम (10)।

10. अपील :

नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर एस क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केन्द्रिय सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, अपील कर सकेगा।

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी प्रर्याप्त कारणों में साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नही कर सका था, तो वह उक्त अवधि को 60 दिन के अतिरिक्त अवधि के लिए वढ़ा सकेगा। नियम 7 (7)।

11. केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम या नियमों के प्रवर्तन के लिए कार्यप्रणाली :–

सभी सहायक श्रम आयुक्तों (के0) का नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में और सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (के0) अपील प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।

12. नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियॉ :– नियंत्रक प्राधिकारी की किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम के बारे, अथवा उपदान के संदाय के लिए किसी कर्मचारी के, या उसके सम्बन्ध में, किसी दावे की अनुज्ञेयता के बारे में, अथवा उस व्यक्ति के बारे में जो उपदान प्राप्त करने के लिए हकदार है, जांच करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत ही शक्तियॉ होगी जो न्यायालय में सिविल प्रिया संहता, 1480 के अधीन निहित है, अर्थात :–

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर करना शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण ओर पेश किए जाने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना धारा 7(5) ।

13. उपदान की वुसली :– यदि संदेय उपदान की रकम नियोजक द्वारा, विहित समय के भीतर उसके हकदार व्यक्ति को संदेश नही की जाती है, तो नियं,त्रक प्राधिकारी, व्यक्ति द्वारा उसे निमिा आवेदन किए जाने पर, कलक्टर को उस रकम के लिए एक प्रमाएा पत्र जारी करेगा, जो विहित समय के अवसान की तारीख से यस पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसकी वसूली भू–राजस्व की बकाया के रूप में करेगा तथा उसे उसके हकदार व्यक्ति को संद्वा करेगा। धारा (8) ।

14. उपदान का संरक्षण :– उपदान संदाय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन संदेय कोई उपदान किसी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किये जाने के दायित्प के अधीन नही होगा। धारा (1)।

15. अपराधों के लिए शक्तियॉ :–

1. जो कोई, किसी संदाय बचने के प्रयोजनार्थ जो उसे कहना है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे संदाय करने से बचने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ जानबुझकर कोई मिथ्याकथन मिथ्या ब्सपदेशन करेगा/अथवा करायेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी, अथवा जुर्माना से, जाक एक हज़ार रू0 तक का हो सकेगा, अथवा दण्डनीय होगा ;

परन्तु जहॉ अपराध उपदान संदाय अधिनियम के अधीन संदेय उपदान के अशंदानसे सम्बन्धित है, वहां नियोजक कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास के कम की न होगी दण्डनीय होगा, सिवाय तब के जब अपराध का विचारण करने वाला न्यायलय, उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखवद्ध किये जायेगे इस राय का हो कम अवधि के कारावास से या जुर्माने के अधिरोपण से न्याय के उददेश्यों की पूर्ति हो जायेगी। धारा 4(2) ।

16. सूचना का प्रदर्शन :– नियोजक स्थापन के मुख्य द्वारा पर या उसके निकट अग्रेजी में और उस भाषा में जो कर्मचारियों की बुहसंख्या द्वारा समझी जाजी है मोटे अक्षरो में सहज देस रू॰ में प्रदर्शित करेगा अथवा पदाभिदान सहित उस प्रादिकारी क नाम विनिर्दिष्ट होगा जो नियोजक द्वारा उपदान संदाय अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसकी ओर से सूचनाएं प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। नियम (4) ।

17. अधिनियम और नियमों की संक्षिप्ति :–

नियोजक उपदान संदाय अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की संक्षिप्त अग्रेजी में और उस भाषा में बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, स्थापन के मुख्य द्वारा पर या उसके निकट किसी सहजद दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। नियम (2) ।

राजपत्र अधिसूचना नं सा का नि 2868 के अनुसार।